अध्याय VIII : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

8.1 तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान

13 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश के अभाव में अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान किए जिसका परिणाम 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान कुल ₹6.08 करोड़ के अनियमित भुगतान में हुआ।

वित्त मंत्रालय (एमओएफ), व्यय विभाग, ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गैर उत्पादकता संयोजित बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान करने का कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) को यह तदर्थ बोनस प्रदान करने के आदेश प्रत्येक वर्ष अलग से जारी किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस प्रदान करने के ओएम 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के लिए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एमओएफ ने वर्ष 2014-15 के लिए सीएबी को तदर्थ बोनस प्रदान करने के आदेश जारी किए थे। हालांकि, एमओएफ द्वारा 2015-16 से 2017-18 तक के वर्षों के लिए सीएबी को ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। इसके बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 सीएबी ने 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को कुल ₹15.87 करोड़ का तदर्थ बोनस अदा किया था। यह एमओएफ से अपेक्षित आदेशों के बिना किया गया था। ₹15.87 करोड़ में से ₹9.79 करोड़ की वसूली कर ली गई थी जैसा ब्यौरा **अनुलग्नक 8.1**[1] में दिया गया है।

आईआईएमके तथा एनआईओएस ने बताया (जनवरी/मई 2020) कि उन्होंने केन्द्रीय सरकारी नियमों का अनुपालन किया था तथा वे केन्द्र सरकार द्वारा न तो आंशिक रूप से और न ही पूर्ण रूप से वित्तपोषित थे, इसलिए उनके पात्र कर्मचारियों को तदर्भ बोनस के भुगतान सही थे।

[1] संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त निकाय को मिलाकर

आईआईटी-जी ने बताया (मार्च 2020) कि वर्ष 2015-16 से 2016-17 के लिए अपने कर्मचारियों को अदा किए गए बोनस का अपनी स्वंय की विकास की निधि के प्रति समायोजित किया जाएगा।

आईआईएमएल, एयू तथा एमएनएनआईटी ने तथ्यों (मई/जून/जुलाई 2020) की पुष्टि की है परंतु अभी तक वसूली के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुए हैं।

वीबीयू ने बताया (सितंबर 2020) कि उसने वर्ष 2016–17 से तदर्थ बोनस के भुगतान को रोक दिया था परंतु उसने आजतक इस संबंध में कोई वसूली प्रारंभ नहीं की थी।

आईआईटी-के ने बताया (अक्टूबर 2020) कि उसने एमओएफ से ऐसे आदेशों की प्राप्ति की प्रत्याशा में अपने पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए *तदर्थ* बोनस प्रदान किया था। उसने यह भी बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए *तदर्थ* बोनस अपने स्वयं के संसाधनों से संवितरित किया गया था। टीएएस ने अपने कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस के भुगतान की पुष्टि (नवंम्बर 2020) की तथा बताया कि उसने एमओएफ द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जारी आदेशों के हवाला लेते हुए बोनस अदा किया था।

आईआईईएसटी ने *तदर्थ* बोनस की पूर्ण राशि, जो उसने अपने कर्मचारियों को अदा की थी, की वसूली की (नवम्बर 2020)। इसी प्रकार, बीबीएयू, बीएचयू तथा एएमयू ने भी अदा किए गए कुल ₹9.20 करोड़ के अधिक तदर्थ बोनस की वसूली की थी (अक्टूबर 2020)।

इन शिक्षण संस्थानों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं। एमओएफ से आदेशों के अभाव में अपने कर्मचारियों को *तदर्थ* बोनस का लाभ प्रदान करने का परिणाम वर्ष 2015-16 से 2017-2018 के लिए ₹6.08 करोड़ के अनियमित भुगतान में हुआ। इसके अतिरिक्त, संस्थानों के स्वयं के संसाधनों/विकास निधि में से तदर्थ बोनस के भुगतान में संबंधित मंत्रालय की सहमति अपेक्षित थी, जो प्राप्त नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो, एमओई के तत्वाधान के अधीन कार्य करता है, ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (अक्टूबर 2017) को इस संबंध में अपने संबंधित कर्मचारियों से वसूलियां करने का निर्देश दिया क्योंकि

जीओआई ने सीएबी को वर्ष 2015–16, 2016-17 तथा 2017-18 के लिए गैर उत्पादकता संयोजित बोनस प्रदान करने का आदेश नहीं दिया था। तथापि, कुछ शिक्षण संस्थानों ने आज तक वसूलियां प्रारम्भ कर दी थी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) ने सूचित किया (मार्च/दिसंबर 2020) कि बीबीएयू, बीएचयू, एएमयू तथा आईआईटी-जी के संबंध में वसूलियां शुरू कर दी गई हैं। इन्होंने एमएनएनआईटी से जीओआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सतर्कतापूर्वक पालन करने तथा भविष्य में ऐसी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को न दोहराने का भी अनुरोध किया है (जनवरी 2021)। शेष सीएबी के संबंध में मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

8.2 फर्म को ₹2.44 करोड़ का अनुचित लाभ

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने निविदा शर्तों के उल्लंघन में भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करके एक निजी फर्म को अनुचित लाभ दिया, जिसका परिणाम ₹2.44 करोड़ के परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ।

सर सुंदरलाल अस्पताल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (एसएस अस्पताल) में लाइसेंसिंग अनुबंध के तहत 24 घण्टे मेडिसिन एण्ड केमिस्ट शॉप की स्थापना की दृष्टि से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (बीएचयू) ने योग्य फर्मों से निविदा आमंत्रित की (फरवरी 2013)। निविदा दस्तावेजों की शर्त 5.1 के अनुसार, लाइसेंसधारी ₹12.50 लाख प्रति माह की तय मासिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, बीएचयू को एक अतिरिक्त परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क अदा करेगा। बोलीकर्ताओं को उस मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) की प्रतिशतता का उद्धरण देना अपेक्षित होगा जिसे वे अतिरिक्त परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में आगे बीएचयू को प्रदान करना चाहते हैं, जो बीएचयू द्वारा निर्धारत नियत मासिक लाइसेंस शुल्क से अधिक व अलग होगा।

निविदा के अनुसरण में, दो फर्मों अर्थात मैसर्स हेल्पलाइन फार्मेसी, नई दिल्ली (पहली फर्म) तथा उमंग क्योर प्रा. लि., लखनऊ (दूसरी फर्म) ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की। निविदा समिति (30 मार्च 2013) के कार्यवृत्त के अनुसार, पहली

फर्म ने मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) का चार प्रतिशत तथा दूसरी फर्म ने मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) का 2.15 *प्रतिशत* बीएचयू को अदा करने का उद्धरण दिया। समिति ने पहली फर्म द्वारा दिए गए उच्च प्रस्ताव के आधार पर पहली फर्म को संविदा सौपनें की सिफारिश की। संविदा पहली फर्म को सौपी गई थी तथा उन्हें मामले को आगे बढ़ाने हेतु तुरंत ड्राफ्ट समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रेषित करने को कहा गया (मई 2013)। फर्म को एक अनुस्मारक भी दिया गया था (जून 2013) परंतु पहली फर्म ने कोई उत्तर नहीं दिया।

पहली फर्म संविदा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने नहीं आई। इसी बीच दूसरी फर्म ने बीएचयू को सिफारिश की (जून 2013) तथा अनुरोध किया कि उनकी बोली को स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त, दूसरी फर्म मासिक विक्रय मात्रा पर परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की प्रतिशतता को 2.15 प्रतिशत से चार *प्रतिशत* तक बढ़ाने को सहमत हुई (जुलाई 2013)। बीएचयू ने प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा दूसरी फर्म के साथ एक अनुबंध (सितंबर 2013) किया। दुकान अक्टूबर 2013 में फर्म को सुपुर्द की गई थी।

बीएचयू द्वारा दूसरी फर्म के साथ किए गए अनुबंध की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान की शर्त अनुबंध में बदली हुई थी। निविदा दस्तावेजों के अनुसार, परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क फर्म द्वारा बीएचयू को मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) पर अदा किया जाएगा परंतु अनुबंध में इसे मासिक विक्रय मात्रा (विक्रय चालान मूल्य पर) के आधार में बदल दिया गया था। यह देखा गया कि बीएचयू ने फर्म के साथ भुगतान की शर्तों को बदलने हेतु कोई बातचीत नहीं की थी तथा परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान की शर्तों के बदलने के आधार को अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि बीएचयू ने पहले भी इसी दुकान के लिए एक अन्य फर्म के साथ अगस्त 2007 में इसी प्रकार का अनुबंध किया था जिसमें मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) आधार पर परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान की शर्त भी शामिल थी। भुगतान की शर्तों में परिवर्तन के कारण बीएचयू को नवम्बर 2013

से मार्च 2019 के दौरान ₹2.44 करोड़ की परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली वहन करनी पड़ी जैसा नीचे **तालिका सं. 1** में दिया गया है।

तालिका सं. 1: परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

(राशि ₹ में)

अवधि (1)	मासिक विक्रय मात्रा (एमआरपी पर) (2)	मासिक विक्रय मात्रा (विक्रय चालान मूल्य पर) (3)	अदा किया जाने वाला परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क (4)	अदा किया गया परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क (5)	कम वसूली (6) (5-4)
नवम्बर 2013 से मार्च 2019 तक	**336,71,02,578**	**275,74,15,493**	**13,46,84,102**	**11,02,96,615**	**2,43,87,487**

उत्तर में (दिसंबर 2018), बीएचयू ने बताया (फरवरी 2019) कि एमओयू की समन्वयक कानूनी सेल द्वारा पुनरीक्षित की गई थी तथा तत्कालीन कुलपति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

बीएचयू का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा शर्तों से विचलन जिसका बीएचयू के राजस्व पर प्रभाव है, केवल अभिलेख में उचित औचित्य के बिना नहीं किया जा सकता था। आगे, अनुबंध के पुनरीक्षण के समय कानूनी सेल ने अपने अनुमोदन नोट में उपर्युक्त परिवर्तनों का उल्लेख नहीं किया था।

मामले को मंत्रालय को सूचित किया गया (जून 2019 तथा अक्टूबर 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

इस प्रकार, निविदा की शर्तों के उल्लंघन में भुगतान की शर्तों में परिवर्तन करके बीएचयू द्वारा एक निजी फर्म को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसका परिणाम ₹2.44 करोड़ के परिवर्तनीय मासिक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ है। यह सिफारिश की जाती है कि उल्लंघन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान करने हेतु जाँच की जाए तथा उचित कार्रवाई हो।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई

8.3 अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद पर ₹1.29 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय

आईआईटी-बी विक्रेता को आईआईटी-बी में एसएपी ईआरपी के कार्यान्वयन हेतु संचालन की विकेन्द्रित पद्धति की अपनी आवश्यकता को प्रभावी रूप से सूचित करने में विफल रहा तथा विक्रेता द्वारा सुझाव दिए गए ईआरपी समाधान को एक स्पष्ट परिभाषा कि क्या परियोजना अपरिहार्य है, के बिना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जिससे अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद पर ₹1.29 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बी) ने मैसर्स एटोस (विक्रेता) को ₹31.50 करोड़ के उपक्रम संसाधन योजना (ईआरपी) के कार्यान्वयन का कार्य प्रदान किया। परियोजना कार्यान्वयन को वेव-1 तथा वेव-2 में विभाजित किया गया था जिसे 24 महीनों (दिसम्बर 2016) के भीतर पूर्ण किया जाना था तथा इस प्रकार प्रत्येक परियोजना की 12 महीने प्रत्येक[2] की समापन अवधि थी। अनुबंध के अनुसार, संविदा को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) (दिनांक अक्टूबर 2013), आरएफपी को शुद्धि पत्र (दिनांक नवम्बर 2013) तथा प्रतिबद्धता पत्र (मई 2014) के ढ़ांचे के भीतर निष्पादित किया जाना था तथा कोई अपवाद एवं विचलन अनुमत नहीं थे।

यह पाया गया था कि वेव-1 को पूर्ण कर दिया गया था तथा अप्रैल 2017 तक प्रारम्भ हो चुका था। सम्मेलन कक्ष पायलट तथा अंतिम उपभोक्ता प्रशिक्षण जैसे संघटक आंशिक रुप से पूर्ण थे तथा संस्थान द्वारा स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाना लंबित था। वेव-2 के संबंध में, प्रगति केवल परियोजना तैयारी तथा बिजनेस ब्लूप्रिंट साइनऑफ के संबंध में थी तथा अन्य संघटकों के संबंध में समापन की निर्धारित तिथि (दिसंबर 2016) से 45 महीनों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी (सितंबर 2020) कोई प्रगति नहीं थी। सितंबर 2020 तक ₹18.31 करोड़[3] का व्यय किया गया था। जब लेखापरीक्षा में विलम्ब हेतु

---

[2] इसके पश्चात, विक्रेता को एक वर्ष के लिए उपभोक्ता अभिग्रहण सहायता तथा अगले चार वर्षों (दिसंबर 2021 तक) के लिए संचालन एंव अनुरक्षण सहायता प्रदान करनी थी।

[3] वेव-1 ₹11.33 करोड़, वेव-2 ₹1.92 करोड़ तथा ओ एवं एम चरण ₹5.06 करोड़

दण्ड के गैर उदग्रहण को इंगित किया गया था तब आईआईटी-बी/ मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2020/जनवरी 2021) कि ₹1.23 करोड़[4] की राशि को लंबित बकायों से दण्ड के प्रति वसूला/समायोजित किया गया तथा वेव-2 को हटाने या काली सूची में डालने के लिए एक पत्र एटोस को भेजा गया।

इसके अतिरिक्त, इस एसएपी ईआरपी परियोजना के संबंध में यह देखा गया था कि आईआईटी-बी ने संस्थान में विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विकेन्द्रित प्रचलन में अपने अधिकांश आईटी समर्थ व्यवसाय प्रक्रियाओं को संचालित किया। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया (फरवरी 2018):

- आईआईटी-बी द्वारा प्रदत्त आरएफपी के आधार पर विक्रेता ने सामग्री बिल (बीओएम) प्रस्तुत किया; बीओएम, आरएफपी के अनुसार, लाइसेंस आवश्यकता मैपिंग होने से एसएपी लाइसेंस आवश्यकता की प्रमात्रा है।
- विक्रेता ने आईआईटी-बी में ईआरपी के एक केन्द्रीकृत प्रचालन पद्धति की सिफारिश[5] की थी तथा तदनुसार बीओएम[6] को प्रस्तुत किया जिसे आईआईटी-बी द्वारा स्वीकृत किया गया। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बीओएम की स्वीकृति ईआरपी प्रचालन की केन्द्रीकृत पद्धति की स्वीकृति के बराबर थी।
- कार्यान्वयन तथा गो लाइव के पश्चात आईआईटी-बी को एहसास हुआ कि एक केन्द्रीकृत रचना तक प्रचालनों को सीमित करना कार्य करने के स्थापित तरीके में बड़े विघटन तथा कार्य की गति में काफी धीमेपन के बिना संभव ही नहीं होगा। इससे हितधारकों में अप्रसन्नता भी होगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीकृत पद्धति में संचालन हेतु स्त्रोत पर डाटा को अधिकृत करने के लिए एसएपी ईआरपी के फ्रंट एंड के रूप में विकल्प के

[4] ₹12.29 करोड़ की सेवा लागत का 10 प्रतिशत

[5] विक्रेता द्वारा प्रस्तुत एक 'स्थिति पत्र' के माध्यम से जिसने यह बताते हुए कि केन्द्रीकृत पद्धति का प्रस्ताव अधिकांश व्यवसायों का पंसदीदा विकल्प है आईआईटी-बी में ईआरपी कार्यान्वन की केन्द्रीकृत पद्धति का प्रस्ताव दिया।

[6] पीओ दिनांक दिसम्बर 2014 के भाग के रूप में अनुबंध के लिए अनुलग्नक

लिए अतिरिक्त लाइसेंसों की एवज में एक अलग इन-हाउस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी।

- उपरोक्त पर प्रकाश डालते हुए, आईआईटी-बी ने विक्रेता द्वारा बीओएम के अनुसार उपलब्ध कराए गए एसएपी लाइसेंस की पर्याप्तता के संबंध में प्रचालन की केन्द्रीकृत के प्रति विकेन्द्रीकृत पद्धति का अध्ययन करने तथा इसके लिए एसएपी लाइसेंस की आवश्यकता सहित प्रचालन की उपर्युक्त पद्धति पर सिफारिश प्रस्तुत करने हेतु एक सशक्त समिति (ईसी) (जुलाई 2017) का गठन किया। ईसी ने सिफारिश की कि चूंकि विक्रेता द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीकृत मॉडल प्रचालन में सरलता एव दक्षता प्रदान नहीं करती थी इसलिए प्रचालन का आंशिक रूप से विकेन्द्रित मॉडल जिसने परियोजना प्रभारियों को प्रशासनिक स्वतंत्रता तथा प्रभावी प्रचालन पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया, को अपनाया जाना चाहिए।
- प्रचालन की आंशिक रूप से विक्रेन्द्रित पद्धति में अतिरिक्त लाईसेंसों का प्रापण अपेक्षित था। इस प्रकार आईआईटी को एसएपी इंडिया से अतिरिक्त 250 व्यवसायिक उपयोगकर्ता लाइसेंसों[7] तथा 150 परियोजना उपयोगकर्ता लाइसेंसों[8] का प्रापण करना था। आईआईटी-बी ने इस प्रापण पर ₹1.29 करोड़ (जुलाई 2017) का व्यय किया जो ईआरपी कार्यान्वयन के अतिरिक्त था।

आईआईटी-बी ने बताया (सितंबर 2020) कि आरएफपी ने ईआरपी प्रचालन के केन्द्रीकृत अथवा विकेन्द्रीकृत पद्धति का उल्लेख नहीं किया था तथा प्रत्येक

---

[7] एसएपी व्यावसायिक उपयोगकर्ता एक नामित उपयोगकर्ता है जो लाइसेंस दवारा समर्थित संचालन संबंधी तथा प्रणाली प्रशासन/प्रबंधन प्रशासन भूमिकाओं को निभाने हेतु प्राधिकृत है।

[8] एसएपी परियोजना उपयोगकर्ता एक नामित उपयोगकर्ता है जो लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित निम्नलिखित (एसबीओपी को छोड़कर) एक अथवा अधिक भूमिकाओं को पूरा करने को प्राधिकृत है (i) परियोजना प्रबंधन, (ii) उत्पादन तथा परियोजना संबंधित रिपोर्टिंग, (iii) प्रक्षेपित संबंधी राजस्वो एवं व्ययों को संभालना, (iv) प्राप्य खाता (ए/आर)सामान्य बही (जी/एल) पोस्टिंग पर नजर रखने, (v) पहुंच को नियंत्रित करना तथा सहयोगी उत्पाद विकास परिद्श्यों में उत्पाद डाटा तथा विधियों को जारी करना, (vi) इंजीनियरिंग अभिलेखों के माध्यम से परिवर्तनों पर नजर रखना तथा अनुमोदित करना, (vii) इंजीनियरिंग अभिलेखों के माध्यम से परिवर्तन प्रबंधन, (viii) फोल्डरों में सहयोग करना, तथा (ix) तृतीय पार्टी प्राधिकृत संलेखन यंत्र को इंटरफेस।

कार्य हेतु लाइसेंसों की संख्या के संबंध में उन लाइसेंसों की आवश्यकता आरएफपी में विनिर्दिष्ट थी। तथापि, आईआईटी-बी ने क्रय आदेश देते समय आरएफपी में लाइसेंस आवश्यकताओं के संदर्भ में विक्रेता के एसएपी बीओएम को स्वीकार किया। एक बार जब आईआईटी-बी ने 2017 में ईआरपी प्रणाली की बड़ी पैमाने पर जांच/उपयोग करना प्रारम्भ किया तो इससे पता चला कि प्रणाली के सुचारू तथा प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु अधिक लाइसेंसों की आवश्यकता थी। इस प्रकार, आंशिक रूप से विकेन्द्रीकरण हेतु ईसी की सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त लाइसेंसों की खरीद की गई थी।

शिक्षा मंत्रालय ने उपर्युक्त तथ्यों को पुष्टि करते समय बताया (जनवरी 2021) कि आरएफपी को संकाय तथा लाइसेंस मैपिंग हेतु 650 परियोजना प्रबंधन प्रकार के लाइसेंसों की आवश्यकता थी तथा जहां तक इन परियोजना उपभोक्ता लाइसेंसों का संबंध था तो बीओएम में कमी पाई गई थी। कार्यान्वयन के दौरान पाई गई इस विसगंति को एटोस के साथ उठाया गया था तथा कमी को एटोस द्वारा 500 ईएसएस लाइसेंसों का 500 परियोजना उपभोक्ता लाइसेंसों में निशुल्क उन्नयन करके सुधार किया गया था। शेष 150 परियोजना उपभोक्ता लाइसेंसो से संबंधित ₹16.66 लाख की लागत को एटोस को देय भुगतानों से वसूला गया था। तथापि, मंत्रालय ने विकेन्द्रीकरण तथा अतिरिक्त 250 पीयूएल की खरीद के लिए आईआईटी के निर्णय को, यह बताते हुए कि यह संस्थान के दार्घकालिक हित में था, उचित ठहराया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की आंशिक स्वीकृति स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विसगंति केवल परियोजना उपभोक्ता में ही नहीं थी बल्कि व्यवसायिक उपभोक्ता लाइसेंसों में भी थी जैसा आरएफपी तथा एसएपी बीओएम के बीच पीयूएल की संख्या में अंतर से देखा जा सकता था। संस्थान का उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को सिद्ध करता है कि आईआईटी-बी ने, कार्यान्वयन के प्रारम्भ में ही, विक्रेता को सूचित नहीं किया था कि उनका पंसदीदा विकल्प कार्यान्वयन की आंशिक रूप से विकेन्द्रीकृत पद्धति का था। इसलिए, विक्रेता ने बीओएम जो आईआईटी-बी द्वारा अनुमोदित था, के अनुसार आगे कार्य किया तथा केन्द्रीकृत पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन प्रोटोकॉल्स तैयार किया। आंशिक रूप से विक्रेन्दीकृत ईआरपी संचालन का विकल्प बाद का विचार था, जिसकी बाद में

ईसी (जुलाई 2017) द्वारा सिफारिश की गई थी। इसने दर्शाया कि आईआईटी-बी ने यह समझने के लिए उपयुक्त निर्णय नहीं लिया था कि विक्रेता ने प्रचालन की एक केन्द्रीकृत पद्धति पर ईआरपी समाधान का प्रस्ताव किया था। इस प्रकार, परियोजना के प्रारम्भ में कार्यान्वयन पद्धति के संबंध मे स्पष्टता की कमी आईआईटी-बी की ओर से ₹1.29 करोड़ की अतिरिक्त लागत का कारण बनी, जो परिहार्य थी।

विक्रेता से कुल ₹112.80 लाख के 250 पीयूएल तथा एएससी डाटा रनटाईम की खरीद की लागत को वसूलने के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट के साथ 150 परियोजना उपभोक्ता लाइसेंसों के संबंध में ₹16.66 लाख की वसूली के विवरण मंत्रालय/आईआईटी-बी से प्रतीक्षित है (जनवरी 2021)।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर

8.4 दिहाड़ी कामगारों को अस्वीकार्य भुगतान

अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के दौरान, एनआईटी, सिलचर ने ड्यूटी दिनों की वास्तविक संख्या के बदले पूरे महीने के लिए मस्टर रोल कामगारों को ₹90.55 लाख की राशि का अतिरिक्त वेतन दिया जो न्यूनतम मजदूरी नियमावली (केन्द्रीय), 1950 के अनुसार अस्वीकार्य था।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी), सिलचर जो असम सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहा था, जिसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सिलचर के रूप में उन्नत (जून 2002) किया गया था। इससे आरईसी सिल्चर को एक स्वायत्त संस्थान का दर्जा मिला जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन शासक मंडल (बीओजी) द्वारा शासित है।

इसके उन्नयन से पहले, आरईसी ने 1980 एवं 1985 की अवधि के दौरान प्रशासनिक एवं शैक्षणिक अनुभागों में उत्पन्न आवश्यकताएं जैसे सम्मेलनों, बैठकों, शोध कार्य, परीक्षाओं के दौरान सहायकों, रसोइया-सह-सहायक, प्रयोगशाला परिचारक एवं सुरक्षा कर्मियों आदि की मस्टर रोल कामगारों (एमआर कामगार) की भर्ती की। एमआर कामगारों की भर्ती आरईसी के

एनआईटी (2003 तक) के स्तर पर उन्नयन के बाद तक जारी रही। उनको उनकी योग्यता एवं सेवा की अवधि के आधार पर अस्थिर वेतन दिया गया।

भुगतान के संबंध में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13, प्रावधान करता है कि प्रत्येक सात दिनों में एक दिन का विश्राम दिया जाता है एवं ऐसे विश्राम दिन के लिए भुगतान की अनुमति भी होती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) समय-समय पर दिहाड़ी कामगारों की भिन्न भिन्न श्रेणियों को न्यूनतम देय वेतन की दर को अधिसूचित करता है। ऐसी अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों में सप्ताह के विश्राम दिनों के लिए वेतन दर प्रत्येक दिहाड़ी कामगार प्रत्येक सात दिनों में एक दिन के विश्राम के हकदार हैं और इस प्रकार एक महीने में कामगार के न्यूनतम देय वेतन की गणना उतने दिनों के संदर्भ में की जाती है जितने दिन कामगार वास्तव में काम करता है।

लेखापरीक्षा ने बताया कि एनआईटी, सिलचर ने दिहाड़ी पर 90 से 98 मस्टर कामगारों की भर्ती की। अभिलेखों ने दर्शाया कि अप्रैल 2015 एवं मार्च 2019 के बीच इन कामगारों का वेतन एमएलई द्वारा अधिसूचित दरों को एक महीने में कुल दिनों की संख्या (30-31 दिन) से गुणा करके परिकलित किया गया। यह इस तथ्य के बावजूद किया गया है कि इन कामगारों ने वास्तव में कम दिनों के लिए अपनी डयूटी की। चूंकि एमएसई द्वारा अधिसूचित दर मे पहले से ही विश्राम दिन के वेतन शामिल थे, वास्तविक ड्यूटी दिनों के बजाय पूरे महीने का भुगतान एमएलई द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के लिए प्रावधान का उल्लंघन था। इसका परिणाम ₹90.55 लाख[9] का अस्वीकार्य भुगतान था।

इसके उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2021) कि जब यह आरईसी था तब एमआर कामगारों की भर्ती असम सरकार मजदूरी नियमावली के अन्तर्गत

[9] परिकलन अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के दौरान एमआर कामगारों के ड्यूटी दिनों की वास्तविक सं. पर एनआईटी सिल्चर द्वारा उपलब्ध डाटा पर आधारित हैं। अतिरिक्त घंटो में किया गए काम/छुट्टी में काम के लिए एमआर कामगारों के समयोपरि भत्ते के मामले को परिकलन में विचार नहीं किया गया था क्योंकि संस्थान ने न तो अतिरिक्त समय पर काम करने हेतु कोई विशेष आदेश जारी किया और न ही कोई समयोपरि रजिस्टर अनुरक्षित किया।

की गई थी जिसमें एमआर कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान पूरे महीने अर्थात् 30 दिन प्रति माह, सवैतनिक छुट्टियों के रूप में साप्ताहिक छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना था। एनआईटी में इसके उन्नयन के बाद, पूरे महीने के वेतन के बजाय 26 दिनों की मजदूरी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार न्यून्तम मजदूरी दरों के कार्यान्वयन हेतु 2014 में कामगारों के वेतन की समीक्षा की गई। हालांकि आंदोलन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। एनआईटी में अशांति से बचने के लिए एमआर कामगारों को पूरे महीने की मजदूरी दी गई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि एमआर कामगारों का मामला एनआईटी, सिलचर में हमेशा एक ज्वलन्त मुद्दा था। आरईसी से एनआईटी में परिवर्तन के बाद, संस्थान के शासक मंडल जो एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं, ने समय-समय पर संस्थान में सेवाओं के नियमितीकरण के संबंध में उनके मुद्दे को स्वीकार किया परन्तु मामले का किसी न किसी कारण से समाधान नहीं हो सका। यहां तक कि उनकी मजदूरी दर की समीक्षा नहीं की जा सकी। संस्थान से उनकी सेवाओं की समाप्ति के बजाय, एनआईटी सिलचर को सलाह दी गई कि संस्थान के गैर-संकाय रिक्त पदों की संस्वीकृत कार्मिक संख्या के प्रति उनको रखा जाए। एमआर कामगारों की स्थिति का जायजा लेने के लिए तथा 30/31 दिनों के भुगतान को जारी करने के लिए संस्थान के कार्य को इस संदर्भ में देखा जाए। उन्होंने जोड़ा कि एमआर कामगार उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर कार्य कर रहे हैं तथा एनआईटी, सिलचर को संस्वीकृत कार्मिक संख्या से अधिक गैर संकाय पदों के प्रति कोई भी संविदात्मक सेवा को काम पर न लगाने का अनुदेश दिया गया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि (i) एमएलई द्वारा निर्धारित 26 दिनों की न्यूनतम मजदूरी में एक महीने के दौरान विश्राम दिनों की मजदूरी पहले ही शामिल है, (ii) मंत्रालय के उत्तर में कोई भी नियम/आदेश नहीं था जो यह स्पष्ट करे कि प्राधिकारी जिसके अधीन एमआर कामगारों को अतिरिक्त भुगतान जारी किया गया, क्योंकि एमएलई उन दिनों की अनुमति नहीं देता जिन दिनों के लिए कामगारों ने अपनी ड्यूटी नहीं की, (iii) मंत्रालय का कथन कि एमआर कामगारों के लंबित नियमितीकरण, संस्थान को दी गई सलाह कि गैर-संकाय रिक्त पदों की संस्वीकृत कार्मिक संख्या के प्रति एमआर कामगारों

को बनाए रखना, इसे एमएलई द्वारा अधिसूचित मजदूरी से अधिक एमआर कामगारों को भुगतान करने के लिए एक प्राधिकार या संस्वीकृति के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल एनआईटी, सूरत

8.5 एनआईटी अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के गैर अनुपालन के कारण ₹74.25 लाख के राजस्व की परिहार्य हानि

एनआईटी के प्रथम परिनियम के परिनियम 38 तथा एसवीएनआईटी सूरत की 39वीं बीओजी के एक संकल्प के गैर अनुपालन के कारण उसने छात्रावास में नहीं रह रहे सभी नामांकित छात्रों से सीट रेंट नहीं वसूला था जिसका परिणाम 2012-13 से 2018-19 तक की अवधि के लिए ₹74.25 लाख की सीमा तक के राजस्व की हानि में हुआ।

एनआईटी अधिनियम, 2007 की धारा 26 के साथ पढ़े जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के प्रथम परिनियम के परिनियम 38 के अनुसार, प्रत्येक एनआईटी एक आवसीय संस्थान होगा तथा सभी छात्र एवं शोध छात्र एनआईटी द्वारा इसी उद्देश्य हेतु निर्मित आवासीय छात्रावासों तथा हॉल में रहेंगे। असाधारण मामले में, जिसके लिए कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा, छात्र अथवा शोध छात्र को उसके माता-पिता या अभिभावक के साथ रहने को निदेशक अनुमत कर सकता है। जहां ऐसी अनुमति प्रदान की जाती है वहां ऐसा छात्र या शोध छात्र "सीट रेंट" का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह उत्तरदायी था अगर वह छात्रावास में रहता।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एनआईटी, सूरत (एनआईटी सूरत) ने दाखिला लिए हुए छात्रों, जो छात्रावास में नहीं रहते थे, से एनआईटी के प्रथम परिनियम के परिनियम 38 के अनुसार सीट रेंट वसूल नहीं किया। यह 2012-13 से छात्रावासों में कमरों के उपलब्ध होने के बावजूद था। आगे यह पाया गया था कि छात्रावास में अनिवार्य रूप से रहने की नीति के विरूद्ध स्थानीय छात्रों के अनुरोध पर एनआईटी सूरत ने स्थानीय छात्रों के अनिवार्य रूप से छात्रावास में रहने की नीति को हटाने के लिए स्थानीय छात्रों के अनुरोध

पर विचार करने तथा अनुमोदित करने से संबंधित मामले को 39 वें शासक मंडल (बीओजी) (मार्च 2015) के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि 39 वीं बोओजी ने एजेंडा से मद को वापस लेने का संकल्प लिया।

इस प्रकार, चूंकि एनआईटी सूरत ने एनआईटी के प्रथम परिनियम के परिनियम 38 का अनुपालन नहीं किया था तथा नामांकित छात्रों से सीट रेंट वसूल नहीं किया था। यह इस तथ्य के बावजूद था कि बीओजी ने छात्रावासों में अनिवार्य रूप से रहने की नीति को हटाने के संबंध में छात्रों के अनुरोध पर विचार नहीं किया था। इसका परिणाम छात्रों द्वारा सीट रेंट के गैर भुगतान के कारण ₹74.25 लाख के राजस्व की परिहार्य हानि में हुआ जैसा **तालिका सं. 2** में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2: सीट रेंट का गैर भुगतान

वर्ष	डबल सीट के लिए सीट रेंट (2)	नामांकित छात्रों के न रहने से खाली पड़ी छात्रावास की सीट (3)	परिहार्य हानि (₹में) (2)* (3)
2012-13	3000	375	1125000
2013-14	3000	35	105000
2014-15	3000	154	462000
2015-16	3000	575	1725000
2016-17	3000	582	1746000
2017-18	3000	244	732000
2018-19	3000	510	1530000
		कुल परिहार्य हानि	**7425000**

एनआईटी सूरत ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि संस्थान ने 49वीं बीओजी बैठक (मई 2019) में एनआईटी सूरत द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित शुल्क समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर छात्रावास सीट रेंट तथा अन्य शुल्कों (पीएचडी छात्रों के शिक्षा शुल्क के सिवाय) को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इस प्रकार, शैक्षिक वर्ष 2019-20 से एनआईटी सूरत को किसी भी प्रकार की आगे की हानि से बचाने के लिए एनआईटी सूरत द्वारा सभी छात्रों से ₹4000 के सीट रेंट की वसूली की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

उच्चतर शिक्षा विभाग

8.6 छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण तथा मनगढ़ंत दावे प्रस्तुत किए जो क्रमशः ₹17.78 लाख तथा ₹47.70 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति का कारण बने।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (मंत्रालय) ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), जम्मू एवं कश्मीर (जे एण्ड के) तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (ए एण्ड एन) की यात्रा करने हेतु हवाई यात्रा के लिए नियमों में छूट के संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 26 सितंबर 2014 को जारी किया था। ओएम ने अनुबंध किया कि सभी पात्र सरकारी कर्मचारी अपने गृह नगर के एक ब्लॉक को बदलकर उसके बदले में एनईआर/ए एण्ड एन/जे एण्ड के में किसी भी स्थान की यात्रा करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं। हवाई यात्रा करने के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय से इकोनामी श्रेणी में इस एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा करने के लिए पात्र नहीं हैं उन्हें (i) कोलकाता/गुवाहाटी से एनईआर में किसी भी स्थान तक, (ii) कोलकाता/चेन्नई/भुवनेश्वर से पोर्ट ब्लेयर तक तथा (iii) दिल्ली/अमृतसर से जे एण्ड के में किसी भी स्थान तक इकोनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। हवाई यात्रा केवल एयर इण्डिया द्वारा इकोनॉमी श्रेणी में की जानी थी तथा एलटीसी 80 किराया[10] या कम स्वीकार्य था। गैर पात्र सरकारी कर्मचारियों द्वारा यात्रा मुख्यालय से कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नई/भुवनेश्वर/दिल्ली/अमृतसर तक पात्रता के अनुसार की जाएगी।

योजना 26 सितंबर 2014 से 25 सितंबर 2016 तक की अवधि के लिए थी। मंत्रालय ने तत्पश्चात सितंबर 2016 में अपने ओएम के माध्यम से योजना को आगे दो वर्षों की अवधि (25 सितंबर 2018 तक) तथा सितंबर 2018 में अपने ओएम के माध्यम से 25 सितंबर 2020 तक बढ़ाया।

[10] एलटीसी 80 सरकारी कर्मचारियों द्वारा एलटीसी लाभ लेते समय हवाई टिकट की बुकिंग हेतु यह योजना एयर इंडिया द्वारा प्रस्तावित है।

ओएम ने आगे अनुबंध किया कि कर्मचारियों को सलाह दी जाए कि एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा तथा नियमावली के तहत उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर रोक रखने के लिए मंत्रालयों/विभागों को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत कुछ हवाई टिकटों को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत हवाई टिकट पर अंकित लागत की तुलना में हवाई यात्रा की वास्तविक लागत के संबंध में संबंधित एयरलाइंस से सत्यापन हेतु यादृच्छिक रूप से लिए जाने की सलाह दी गई थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कर्मचारियों, जिन्होंने एयर इंडिया द्वारा ए एण्ड एन द्वीप समूह/एनईआर तक हवाई यात्रा की थी, के एलटीसी अभिलेखों[11] की नमूना जांच ने निम्नलिखित प्रकट कियाः-

- इनके 17 तथा 34 कर्मचारियों (क्रमशः डीयू तथा जेएनयू) द्वारा दावा किए गए किराए एयर इंडिया को वास्तव में अदा की गई राशि से अधिक थे। लेखापरीक्षा ने इन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों की एयर इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के साथ तुलना की तथा पाया कि इन कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे एयर इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरा के अनुसार अधिक थे।
- सिवाए एक, इन सभी मामलों में हवाई यात्रा टिकटों की बुकिंग मौजूदा नियमों/अनुदेशों के उल्लघंन में निजि ऐजेंटों से की गई थी। जेएनयू के एक मामले में, टिकट प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से बुक किया गया परंतु टिकट की सॉफ्ट प्रति की तुलना जब मूल टिकट से की गई तो उसमें हेराफेरी देखी गई।

इस प्रकार, डीयू तथा जेएनयू एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति को प्राधिकृत करने से पूर्व, एक यादृच्छिक प्रकार से एयरलाइंस टिकटों को सत्यापित कराए जाने की निर्धारित जांच करने में विफल रहा। इसका परिणाम, डीयू तथा जेएनयू द्वारा

[11]

विश्वविद्यालय	एलटीसी दावे की अवधि
दिल्ली विश्वविद्यालय	2016-17 से 2018-19
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय	2017-18 से 2018-19

17 तथा 34 सरकारी कर्मचारियों क्रमशः ₹17.78 लाख तथा ₹47.70 लाख के अनियमित भुगतान में हुआ।

जब अक्टूबर 2019 में इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया तो डीयू ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि शेष मूलधन तथा दण्ड ब्याज के कुल ₹17.82 लाख दण्ड ब्याज की वसूली की गई है। जेएनयू ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि अपने कर्मचारियों से ₹51.77 लाख की वसूली की गई थी। यद्यपि डीयू को उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध अभी भी प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करनी है जबकि जेएनयू ने संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध बड़ी दण्ड कार्यवाही के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की है।

31 अक्टूबर 2020 तक डीयू तथा जेएनयू द्वारा मूलधन शेष तथा उस पर दण्ड ब्याज के कारण क्रमशः ₹3.50 लाख तथा ₹17.23 लाख की राशि की अभी भी वसूली की जानी है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में उल्लेख किए गए अनियमित एलटीसी दावों के भुगतान के उदाहरण वे हैं जो एलटीसी दावों के बिलों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए तथा यह समान उदाहरणों के जोखिमों से बाहर नहीं हैं। ये मामले डीयू तथा जेएनयू में संगठनात्मक स्तर पर बड़ी धोखाधड़ी के सूचक हो सकते हैं। इसलिए, यह अनिवार्य है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि इस योजना अवधि के दौरान सभी एलटीसी दावों की दोनों विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की अनियमितताओं की संभाव्यता से बचने के लिए, जांच तथा सत्यापन किया गया है।

मामला नवम्बर 2020 में मंत्रालय को भेजा गया है, उनका उत्तर दिसम्बर 2020 तक प्रतीक्षित है।